मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015 (चैत्र 3, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री जी. कार्तिकेयन, अध्यक्ष, केरल विधान सभा, तथा

(2) कर्नल (कुमारी) एफ.सी. वाटकिंस, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 का यथा-अपेक्षित विवरण,

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) अन्तर्गत यथा-अपेक्षित वित्तीय वर्ष 2014-2015 की प्रथम छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(i) क्रमांक एफ ए-03-74-2014-1-पॉच (63), दिनांक 17 दिसम्बर, 2014,

(ii) क्रमांक एफ ए-3-78-2014-1-पॉच (64), दिनांक 19 दिसम्बर, 2014; तथा

(iii) क्रमांक एफ ए 3-82-2014-1-पॉच (06), दिनांक 17 जनवरी, 2015 एवं

(घ) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-67-2014-1-पॉच (61), दिनांक 10 दिसम्बर, 2014, पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09,

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार संत रविदास मध्यप्रदेश हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2013-2014 (31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये),तथा

(ग) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, पटल पर रखेंगी.

(3) श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री –

(क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 44-19-2013-बीस-2, दिनांक 26 मई, 2014 एवं

(ख) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014 (दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक),

(ख) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि हेतु),

(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014 द्विभाषीय संस्करण,

(घ) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 तथा

(ङ) एम.पी. पॉवर मेनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, पटल पर रखेंगे.

(5) श्री ज्ञान सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-32-2013-4-पच्चीस, दिनांक 5 फरवरी, 2015 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री समान्य प्रशासन –

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, अठ्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 के साथ ही उपरोक्त सभी वार्षिक प्रतिवेदनों के व्याख्यात्मक ज्ञापन, तथा

(ख) मध्यप्रदेश कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-2014, पटल पर रखेंगे.

-2-

3. फरवरी-मार्च, 2015 सत्र की दिनांक 27 फरवरी, 2015 से 20 मार्च, 2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां पटल पर रखा जाना

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

5. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जय सिंह मरावी, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन तथा द्वितीय एवं तृतीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अड़तालीसवां से तिरपनवां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. नियम 130 के अधीन सामान्य लोक हित के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति पर चर्चा.

8. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74 एवं 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दस हजार छः सौ सत्तावन करोड़, तेईस लाख, अड़तीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) का पुर:स्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 23 मार्च, 2015

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**